ज्वाइंट कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016

- सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016 पर गठित ज्वाइंट कमिटी (चेयरपर्सन: भूपेंद्र यादव) ने 22 जुलाई, 2016 को अपनी रिपोर्ट और परिवर्तित बिल पेश किया।
- बिल चार कानूनों में संशोधन करता है जिनमें से कुछ हैं: (i) सेक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (सरफेसी एक्ट, 2002), और (ii) रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनांशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993 (आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993)।

सरफेसी एक्ट, 2002 में संशोधन

- **एआरसी का स्पांसर** : एक्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) के स्पांसर (जैसे कि एक निवेशक) को बड़ी संख्या में होल्डिंग रखने या कंपनी की हिस्सेदारी को नियंत्रित करने से प्रतिबंधित करता है। बिल में इस प्रावधान को हटाया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से यह अपेक्षा की गई है कि वह स्पांसर के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड निर्धारित करे। कमिटी ने सुझाव दिया कि स्पांसर से संबंधित नियमों में ढिलाई के मद्देनजर, एक्ट के इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए जिसके तहत स्पांसर के प्रतिनिधियों को निदेशक बोर्ड के आधे से अधिक हिस्से पर नियुक्त करने से रोका गया है।
- **ऑडिट और निरीक्षण :** एक्ट आरबीआई को अनुमति देता है कि वह एआरसी के वक्तव्यों (जैसे ऑडिट रिपोर्ट) की मांग कर सकता है। बिल में प्रस्ताव दिया गया है कि आरबीआई एआरसी का ऑडिट और निरीक्षण कर सकता है। कमिटी का कहना है कि आरबीआई को ऑडिट और निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ संस्था को अधिकृत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **कार्रवाई हेतु जिलाधीश (डीएम) के लिए समय-सीमा :** एक्ट जिलाधीश के सहयोग से सुरक्षित लेनदारों (सेक्योर्ड क्रेडिटर) को उस जमानत, जिसकी एवज में ऋण दिया गया है, पर पुनर्भुगतान न होने की स्थिति में कब्जा करने की अनुमति देता है। बिल यह प्रस्ताव रखता है कि इस प्रक्रिया को जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। कमिटी का कहना है कि अगर जिलाधीश किन्हीं ऐसे कारणों से 30 दिनों के अंदर आदेश जारी नहीं कर पाता, जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं तो इस स्थिति में समय-सीमा को दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। 60
- **अपील दायर करने का क्षेत्राधिकार** : एक्ट में पीड़ित पक्ष द्वारा ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में अपील दायर करने के आधार दिए गए हैं। बिल यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि ऐसे मामले उस डीआरटी में दायर किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, (i) जहां कार्रवाई का कारण बना (कॉज ऑफ एक्शन) और (ii) जहां जमानत प्रतिभूति स्थित है। कमिटी ने सुझाव दिया कि पीड़ित पक्ष को उस डीआरटी में मामला दायर करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार में वह बैंक शाखा आती हो जहां ऋण बकाया हो।
- **डीआरटी को एसेट्स की बहाली का अधिकार** : एक्ट डीआरटी को यह अधिकार देता है कि वह मामले से संबंधित तथ्यों की जांच करने के बाद देनदार को सुरक्षित एसेट या व्यवसाय के प्रबंधन को बहाल रखने की अनुमति दे सकता है। बिल इस प्रावधान में विस्तार करते हुए कहता है कि देनदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास सुरक्षित एसेट या व्यवसाय के प्रबंधन को बहाल रखने की अनुमति दी जा सकती है।
- कमिटी ने पाया कि इस अधिकार से डीआरटी को एसेट पर किसी व्यक्ति के पट्टे और लीज के अधिकार को तय करने का हक मिलता है। उसने पाया कि चूंकि

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

27 जुलाई, 2016

पट्टा मिलना (टेनेन्सी) राज्य का विषय है, इसलिए डीआरटी (केंद्रीय कानून द्वारा लागू) को पट्टे या लीज के अधिकार की वैधता निर्धारित करने का सीमित हक मिलेगा। इस संबंध में, कमिटी ने उन विशिष्ट परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनकी जांच डीआरटी किसी व्यक्ति को एसेट बहाल करने के दौरान करेगी।

आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993 में संशोधन

- **ट्रिब्यूल का पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष** : एक्ट डीआरटी के पीठासीन अधिकारी या ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) के अध्यक्ष को किसी दूसरी डीआरटी या अपीलीय ट्रिब्यूनल में कार्य करने की अनुमति देता है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से, किसी अन्य कानून के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों या अध्यक्षों को डीआरटी या डीआरएटी में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **ऋण वसूली के तरीके** : एक्ट बकाया ऋण वसूली के तीन तरीकों को स्पष्ट करता है : (i) संपत्ति को बेचकर, (ii) प्रतिवादी को गिरफ्तार करके और उसे हिरासत में लेकर, और (iii) प्रतिवादी की संपत्ति को प्रबंधित करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करके। बिल यह प्रावधान करता है कि लेनदार उस जमानत प्रतिभूति पर कब्जा कर सकता है जिसकी एवज में ऋण दिया गया था। कमिटी ने सुझाव दिया है कि इनटैंगिबल एसेट्स (जैसे कि कंपनी की गुडविल) की एवज में ऋण दिए जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को ऋण वसूली के दूसरी तरीकों को अधिसूचित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।